महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 03.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर साइबर अपराध जागरूकता एवं मिशन शक्ति अभियान का संचालन...।

आज दिनांक- 03.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के आदेशानुसार, जनपद महोबा पुलिस द्वारा आज जनपद के सभी थानों की पुलिस टीमों ने वृहद स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान तथा मिशन शक्ति जागरूकता अभियान संचालित किया।

अभियान का उद्देश्य – आमजन को साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को सशक्त बनाना एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना

आयोजित कार्यक्रम स्थल- थाना पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों व सामाजिक संगठनों में कार्यशालाएँ व जागरूकता चौपालें आयोजित कीं। प्रमुख स्थानों में क्रमशः–

थाना कोतवाली नगर महोबा – वीर भूमि डिग्री कॉलेज
थाना कबरई – अखंड इंटर कॉलेज
थाना खन्ना – चिचारा पं.दीन दयाल उपाध्याय इं.कॉ./श्री अखंड मुक्तानंद उ.मा. विद्यालय
थाना चरखारी – S.D.V.M विद्यालय
थाना खरेला – काशी प्रसाद इंटर कॉलेज
थाना श्रीनगर – ब्रह्मानंद एजुकेशन सेंटर
थाना पनवाड़ी – कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
थाना महोबकंठ – पं.दीनदयाल उपाध्याय रा. मॉडर्न इंटर कॉलेज व कनकुआ इंटर कॉलेज
थाना अजनर – एस.जी.आर. इंटर कॉलेज अजनर

साइबर अपराधों से बचाव पर जागरूकता- लोगों को फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, ऑनलाइन स्कैम, UPI फ्रॉड, डीपफेक, क्रिप्टो धोखाधड़ी जैसे अपराधों के बारे में जानकारी दी गई।

बचाव के उपायों में – संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना, मजबूत पासवर्ड एवं 2FA का प्रयोग, एंटीवायरस अपडेट रखना ,संदेह की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करना या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करना

मिशन शक्ति जागरुकता अभियान –

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस टीमों द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। महिलाओं/छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई, जिन पर किसी ने कोई शिकायत नहीं की। साथ ही उन्हें कन्या सुमंगला योजना जैसी लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 – मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 1090 – विमेन पावर हेल्प लाइन, 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन, 102 – स्वास्थ्य सेवा, 108 – एम्बुलेंस सेवा, 1098 – चाइल्ड हेल्प लाइन, 181 – महिला हेल्प लाइन इत्यादि की जानकारी प्रदान की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ ताकि आमजन विशेषकर युवा वर्ग, महिलाएं व तकनीकी रूप से कम जानकार नागरिक साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित व0उ0नि0 शिवदान सिंह मय हमराह कां0 राघवेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राममनोहर उर्फ रामसिंह अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 स्वामीदास थाना खरेला जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 28/25 धारा 147 बीएनएसएस थाना खरेला जनपद महोबा में मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को कस्बा खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 शिवदान सिंह
2. कां0 राघवेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

राममनोहर उर्फ रामसिंह अहिरवार पुत्र कालीचरन अहिरवार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मु0 स्वामीदास थाना खरेला जनपद महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 02 नफर हत्यारोपी अभियुक्तों को मय आलाकत्ल (कुल्हाड़ी) के साथ किया गिरफ्तार।

कल दिनांक 02.09.2025 को जनपद महोबा के थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुढा से सूचना प्राप्त हुयी कि उदयभान (उम्र करीब 35 वर्ष) की हत्या ग्राम निवासी मुल्लू उर्फ मूलचन्द्र अहिरवार एवं भारत राजपूत द्वारा मुल्लू के मकान पर खाना बनाने के दौरान कर दी गई है। उक्त सूचना पर जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारीगण द्वारा मय स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में घटना के सफल अनावरण व अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित मय हमराह हे0कां0 बृजलाल व कां0 मो0कामिल के नेतृत्व में थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

आज दिनांक 03.09.2025 को उ0नि0 प्रशांत दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 193/25 धारा 103(1)/3(5) BNS व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.भारत राजपूत पुत्र पूरन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा 2.मुल्लू उर्फ मूलचन्द्र पुत्र कल्ला उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा को मय आलाकत्ल (कुल्हाड़ी) के गजाई बाबा मंदिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशांत दीक्षित
2. हे0कां0 बृजलाल
3. कां0मो0कामिल

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.भारत राजपूत पुत्र पूरन राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा

2.मुल्लू उर्फ मूलचन्द्र पुत्र कल्ला उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 1120/2008 धारा 279/337/338/304ए भादवि0 से सम्बंधित अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र धीरज सिंह निवासी विश्वनाथ कॉलोनी जनपद छतरपुर म0प्र0 को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

ट

लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द.प्र.क्षे. लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं 10 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 293/2013 धारा 392 भादवि0 से सम्बंधित अभियुक्त संजय सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी ग्राम छानीकला थाना कबरई जनपद महोबा को दोषसिद्ध घोषित करते हुए 05 वर्ष तक के कारावास की सजा एवं 10 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

तेज प्रताप पचौरी

(सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 508/2006 धारा 279/337/338 भादवि0 से सम्बंधित अभियुक्त अशरफ खाँ पुत्र उमर खाँ निवासी मु0 तुर्कियाना थाना चरखारी जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।